"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2002—पौष 10, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-85/2002/वाक/पांच (118).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 31-3-2003 तक के लिये कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	काष्ठ	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 12 प्रतिशत हो जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-85/2002/वाक/पांच (118).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-85/2002/वाक/पांच (118), दिनांक 31 दिसंबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 31st December 2002

NOTIFICATION

No. F-10-85/2002/CT/V (118).—In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), (hereinafter referred to as the Adhiniyam), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) for the period from the publication in Official Gazette to 31-3-2003.

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Timber	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 12%.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-29/2002/वाक/पांच (119).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2002/वा.क./पांच (38), दिनांक 27-3-2002 में राजपत्र के प्रकाशन दिनांक से निम्नानुसार संशोधित करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. अनुक्रमांक 6 के कालम (2) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :—

एल्यूमिनियम से बने थर्माइट फ्लक्स (एल्यूमिनियम पाउडर), वायर्स, केबल्स, स्ट्रीप्स, वाईडिंग वायर, फॉइल, कंडक्टर्स और एक्सट्रूडेड सेक्शन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-29/2002/वाक/पांच (119).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-29/2002/वाक/पांच (119), दिनांक 31 दिसंबर] 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 31st December 2002

NOTIFICATION

No. F-10-29/2002/CT/V (119).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Sub-section (5) of Section 8 of Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. F/10-29/2002/CT/V (38), dated 27-3-2002, from the date of publication in gazette :—

AMENDMENT

In the said notification,—

1. For the present entry in column (2) at serial number 6, the following entry shall be substituted :—

Thermite Flux (Aluminium Powder), wires, Cables, Strips, Winding Wire, Foil, Conductors and extruded sections made of Aluminium.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-29/2002/वाक/पांच (120).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है), की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-5-1-94-विक-पांच (22)] दिनांक 1-4-95 में निम्नानुसार संशोधित करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. कालम (1) में वर्तमान प्रविष्टि अनुक्रमांक 8 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :—

8. एल्यूमिनियम इन्गॉट, एल्यूमिनियम वायर रॉड एवं कोल्ड रोल्ड एल्यूमिनियम क्वायल: जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाए.

2. उपरोक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-29/2002/वाक/पांच (120).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-29/2002/वाक/पांच (120), दिनांक 31 दिसंबर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 31st December 2002

NOTIFICATION

No. F-10-29/2002/CT/V (120).—In exercise of powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 13 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. A-5-1-94-ST-V (22), dated 1-4-1995 :—

AMENDMENT

In the said notification,—

1. For the present entry at serial number 8 of column (1) the following entry shall be substituted :—

   8. Aluminium Ingots, Aluminium Wire rod and cold rolled aluminium coil : When used as raw material by the small scale industrial units situated in Chhattisgarh State.

2. The amendment shall come into force from the date of publication in gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/96/2002/वाक/पांच (121).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है.

संशोधन

नीचे दी गई अधिसूचनाओं में अंक "31/12/2002" के स्थान पर अंक "30/6/2003" प्रतिस्थापित किये जायें :—

क्रमांक 326/641/वा. क./पांच/2001 दिनांक 1/3/2001.

क्रमांक एफ 10-2/2001/वा. क./पांच (76) दिनांक 28/12/2001.

Raipur, the 31st December 2002

NOTIFICATION

No. F-10/96/2002/CT/V (121).—In exercise of powers conferred by Sub-section (9) of Section 27 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendments :—

AMENDMENTS

In the Notifications given below for the figures "31/12/2002" the figures "30/6/2003" shall be substituted :—

No. 326/641/CT/V/2001 dated 1/3/2001.

No. F 10-2/2001/CT/V (76) dated 28/12/2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.